न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 9/2017 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती कुमुद पालीवाल पत्नी गणेशलाल जी पालीवाल ब्राहमण, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नाहरसिंह पिता खुमाणसिंह बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. जवेरसिंह पिता खुमाणसिंह बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. रतनसिंह पिता खुमाणसिंह बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. चतरसिंह पिता खुमाणसिंह बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती जुमा कुंवर पिता खुमाणसिंह बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द हाल चतरपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती वशा कुंवर पिता खुमाणसिंह बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द हाल दोवास, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती हमेरी बाई बेवा खुमाणसिंह बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. धूलसिंह पिता गोपालसिंह जी बल्ला राजपूत मृतक के बजाय :–

8/1. नानीबाई पत्नी स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/2. प्रतापसिंह पिता स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/3. तख्तसिंह पिता स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/4. हीरसिंह पिता स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/5. मालाबाई पुत्री स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/6. गीताबाई पुत्री स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/7. सुन्दरबाई पुत्री स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/8. कसियाबाई पुत्री स्वर्गीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

8/9. रेखा पुत्री स्वगीय धूलसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

9. कल्याणसिंह पिता गोपालसिंह जी बल्ला राजपूत, निवासी बेरारेट (पिपलान्त्रीकला), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

10. राज्य राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू-राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर, राजसमन्द दिनांक
26—09—2017 प्रकरण सं. 3/2013

———/———

उपस्थित :— 1— श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2— राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट स॰ 10

———::———

निर्णय दिनांक

11—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के

विरूद्ध धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (अकृषि भू–आवंटन नियम 1970) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आरना में वर्तमान आराजी नंबर 51/2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है, जिसे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा सोसरसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत को आवंटित की गयी, जिनकी मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरकरण के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 से 10 के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी से दर्ज होकर खनिज विभाग द्वारा प्रार्थीया को खनन पट्टा स्वीकृत कर रखा है एवं प्रार्थीया खनन पट्टे के आधार पर काबिज होकर खनन कार्य कर रही है। सोसरसिंह को जो भूमि आवंटित हुई है, वह विधि विरूद्ध है। उक्त आवंटन तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है तथा आवंटन पूर्व उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियम 9 व 10 की पालना नहीं की गयी है एवं नियम 13 की भी पालना नहीं की गयी है। आवंटन पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है तथा आवंटन की सारी कायंवाही एक ही दिन में एक ही स्थान पर बैठकर की गयी है। आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है तथा जनप्रतिनिधि सरपंच/प्रधान/विधायक में से कोई भी उपस्थित नहीं था, न ही सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति ही उपस्थित था। इस प्रकार सारी कार्यवाही विधि विरूद्ध की गयी है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज होकर खनन कार्य कर रही ह तथा खनन पट्टा जो प्रार्थीया को स्वीकृत है, उसके कुछ भाग में उक्त आवंटित भूमि भी गिरती है, जो राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है तथा आवंटी द्वारा भूमि को काश्त योग्य विकसित नहीं किये जाने के कारण उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। आवंटी सोसरसिंह की मृत्यु करीब 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उसके कोई विधिक वारिस नहीं होने से राजस्व रेकार्ड में भूमि उसके नाम ही दर्ज चली आ रहो थी। सोसरसिंह की मृत्यु की जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 से 10 को 15 वर्ष पूर्व भी थी, लेकिन उनके द्वारा कभी एतराज नहीं किया गया। अब सोसरसिंह के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में भूमि अपने

नाम दर्ज करवा ली है, जिसके आधार पर प्रार्थीया के खनन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। अतएवं सोसरसिंह को किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

उक्त प्रकरण दर्ज होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि सोसरसिंह को भूमि विधिवत आवंटित की गयी है तथा विरासत से नामान्तरकरण के जरिये भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से 10 के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीया ने दुर्भावना व खनन संबंधी विवाद के कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया का खनन मात्र 1 बीघा ही आराजी नंबर 51/2 मं आ रहा है, किन्तु प्रार्थीया सारी जमीन पर जबरन खनन कार्य करवा रखा है, जिसे रोकने के लिए निषेधाज्ञा का वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थीया के कारण खेती नहीं हो पा रही है तो इसका लाभ प्रार्थीया प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रार्थीया स्वयं कानून को हाथ में लेकर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के टी.आई. आदेश के विपरीत खनन कार्य कर रही है तथा विपक्षीगण पर झूठे आरोप लगा रही है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 26–09–2017 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि कथित आवंटन सोसरसिंह ने मिसरिप्रजेन्टेशन से प्राप्त किया है तथा आवंटन नियमों

के विपरीत किया गया है, नियम 5, 6, 7 की पालना नहीं की गयी है। आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होकर उसका खनन कार्य चालू है तथा इस संबंध में स्वयं सोसरसिंह द्वारा सन् 1989 में एन. ओ.सी. दी गयी है तथा सिविल न्यायालय ने भी अपीलान्ट के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से अपीलान्ट/प्रार्थीया का आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ह, जो त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित आवंटन निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1985 पेज 564, आर.आर.डी. 1995 पेज 340, आर.आर.डी. 1982 पेज 497, आर.आर.डी. 1982 पेज 237, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1410, आर.आर.टी. 2005 (1) पेज 83, आर.आर.डी. 2005 पेज 629, आर.आर.डी. 1993 पेज 652, आर.बी.जे. 2014 पेज 120, आर.बी.जे. 2007 पेज 492, आर.आर.डी. 2002 पेज 1, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1220, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 64 एवं आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 1048 पस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण पर निणय करने का निवेदन किया।

प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह अंकित किया है कि प्रार्थीया द्वारा सोसरसिंह के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 28–12–1978 के आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका मुख्य आधार अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा बताया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी तकनीकि आधार पर आवंटन को इतने लम्बे समय बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधार पर प्रार्थीया/अपीलान्ट का आवंटन निरस्ती का आवेदन खारिज किया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है, क्योंकि प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों अनुसार आवंटित भूमि का आवंटी सोसरसिंह गैर खातेदार दर्ज होकर

उसका कब्जा होना साबित है। प्रार्थीया/अपीलान्ट ने आवंटन निरस्ती बाबत् ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह साबित हो सके कि आवंटन तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है अथवा उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–09–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर